मु .नं. 43/2020

21.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 को बार–बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा राजपूरा पटवार हल्का गुन्दाउ तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 2001/180 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2002/192 रकबा 2.97 हैक्टयर कुल रकबा 3.16 हैक्टयर प्रार्थीया की पुश्तैनी भूमि आई हुई है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 वचनसिंह ने पूरी भूमि अपनी खातेदारी के नाम करवा दी है जिससे प्रार्थीया को अपने पुश्तैनी हक से वंचित होना पड़ा है। एवं अप्रार्थी संख्या 1 भूमि का कुछ हिस्सा अजनबी को बैचान किया है जो उनके हिस्से से अधिक की भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 आगे भूमि का बैचान पर उतारू है एवं प्रार्थीयागण को अपने पैतृक एवं प्रार्थीगण को अपने पैतृक हक से बेदखल करना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो प्रार्थीया को अपने पैतृक हक से वंचित होना पड़ेगा जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया संख्या 1 व 2 ने अपना पैतृक हक अप्रार्थी संख्या 1 वचनसिंह के हक में मौखिक रूप से त्याग दिया था इस कारण इस आराजी में अब प्रार्थीगण का कोई हक नही है। ऐसी सुरत में उक्त आराजी मुझ अप्रार्थी सख्या 1 के हको की होने से मुझे कर्ता परिवार की हैसियत से तथा परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बैचान करने का पूर्ण अधिकार होने से मेरे द्वारा उक्त आराजी में से 0.64 हैक्टयर का बैचान प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 पहाड़सिंह के हक में किया है। जिसमें से प्रार्थीयागण के हको की प्रतिफल की राशि उन्हें दे दी गई है। इसके उपरान्त भी दावा व प्रार्थना पत्र विधिविरूद्व तौर से पेश किया है जो काबिल खारिज है।

हमनें वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी खातेदार प्रकट होती है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई [illegible] जाती है कि निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला [illegible] के खेत खसरा मौजा राजपूरा पटवार हल्का गुन्दाउ तहसील सांचौर [illegible] 2002/192 रकबा नम्बर 2001/180 रकबा 0.19 [illegible] अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड 2.97 हैक्टयर कुल रकबा 3.16 हैक्टयर [illegible] दाखिल दफ्तर की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner